

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 57/2017 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री भरत कुमार लढा नि० 48, बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
जम्भेश्वर नगर, भीलवाड़ा अधिकारी भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 10/07/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 19.06.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं० 35 एफ 210496 दिनांक 18.05.2017 राशि 10.00 रु० का दिनांक 26.05.2017 को एक आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26/05/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 28/06/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/सू०अ०/2016/3715 दिनांक 10.07.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन दिनांक 26.05.2017 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके पत्रांक/भूमि अ.अ.भील./एन.एच.-758/2017/3716 दिनांक 10.07.2017 से उपलब्ध करा दी गई जिसकी पावती रसीद दिनांक 10.07.2017 संलग्न कर प्रेषित की है।



12
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा


प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के पत्र द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित सूचना अपीलान्ट को निःशुल्क अपने पत्रांक/भूमि अ.अ.भील./एन.एच.-758/2017/3716 दिनांक 10.07.2017 से उपलब्ध करा दी गई । सूचना अपीलान्ट को दिनांक 10.07.2017 को हमदस्त उपलब्ध कराई गई जिसकी पावती रसीद पत्र के साथ संलग्न है। अपीलान्ट का कथन है कि सूचना अपूर्ण है । अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना न्यायालय में वक्त पेशी उपलब्ध करा दी गई जिसकी पावती लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के पत्रांक /सू0अ0/2016/3715 दिनांक 10.07.2017 पर प्राप्ति के हस्ताक्षर अंकित है। सूचना विलम्ब से उपलब्ध कराई गई परन्तु निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में अपील में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 10/07/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।




(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा